

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञापांक-4/स्था0 आवंटन (जन0)-06/15-...../रा0,

सेवा,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय :- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के डेटाबेस के अद्यतनीकरण कार्यो, जनगणना 2011 के समाप्ति के उपरान्त सर्वेक्षण कार्यो तथा जनगणना 2011 के लिए पूर्व की बकाया राशि के भुगतान हेतु कुल-4,34,95,377.00 (चार करोड़ चौतिस लाख पंचानवे हजार तीन सौ सत्तर रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. भारत के महारजिस्ट्रार (नागरिक निबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-9/26/2015 सी0आर0डी0 (एन0पी0आर0) में दिनांक-10.08.2015 द्वारा राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन0पी0आर0) के डेटाबेस को अद्यतन करने हेतु निम्न दर से राशि की स्वीकृति का प्रावधान है :-

क्र0 सं0	मद	विवरण	राशि (रूपये में)
1	मानदेय	प्रगणक	1500
		चार्ज ऑफिसर	5000
		अतिरिक्त चार्ज ऑफिसर	4000
		अन्य कर्मी डी0 सी0	4000
		उप जिला रजिस्ट्रार	6000
		ए0 डी0 एम0/ ए0 डी0 सी0	8000
		जिला रजिस्ट्रार	10000
		राज्य समन्वयक	12000
2	प्रशिक्षण	क्षेत्रीय कर्मी	250
3	मुद्रण	एन0 पी0 आर0 बुकलेट (आगे पीछे कवर तथा स्पाइरल बाइंडिंग), मैनुअल, एन0 पी0 आर0 रिक्त फार्म	170
4	इंधन	चार्ज	15000
		जिला	20000
5	आकस्मिकता	चार्ज	20000
		जिला	30000
6	स्टेशनरी	स्टेशनरी (स्टेपलर, बॉल पेन नीला तथा लाल, इरेजर, इंक पैड, समान रखने के लिए बैग)	150

3. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के डेटाबेस के अद्यतनीकरण कार्यों, जनगणना 2011 के समाप्ति के उपरान्त सर्वेक्षण कार्यों तथा जनगणना, 2011 के कार्यों के लिए जिलों द्वारा पूर्व की बकाया राशि हेतु आवंटन की माँग किया गया है जिसकी निकासी उनके द्वारा पूर्व में आवंटित राशि से नहीं किया जा सका। मानदेय, प्रशिक्षण, कार्यालय व्यय मद में माँगी गयी राशि का विवरण निम्नवत है:-

जिला	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद 2801	प्रशिक्षण मद 2003	कार्यालय मद 1301	कुल राशि (रूपये में)
गया	30000			30000
पूर्वी चम्पारण	2529000	199750	427052	3155802
सुपौल	2103300	140000	140000	2383300
कैमुर	1876500	203750	473073	2553323
मुंगेर	1486060	33000	1023712	2542772
भोजपुर	2715400	108750	502880	3327030
बेगुसराय	9152300	555500	2772880	12480680
पटना	12064000	1032500	3926220	17022720
<b>कुल राशि</b>	<b>31956560</b>	<b>2273250</b>	<b>9265817</b>	<b>43495627</b>

4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार में अब तक जमा कराई गई राशि, निम्नवत है :-

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	केन्द्र द्वारा महालेखाकार कार्यालय में जमा राशि (रूपये में)	CTMIS के अनुसार व्यय की गई राशि (लाख में)
1	2009-10	36839000	00
2	2010-11	1054534207	8579.85
3	2011-12	1246936700	8412.91
4	2012-13	43898600	246.53
5	2013-14	00	591.33
6	2014-15	00	00
7	2015-16	18608000	3222.39
	<b>कुल -</b>	<b>2390816507</b>	<b>21053.01</b>

5. एन०पी०आर० के डेटाबेस के अद्यतनीकरण कार्यों में मानदेय एवं प्रशिक्षण व्यय को छोड़कर अन्य सभी मदों का भुगतान कार्यालय व्यय से होगी।

6. जिलों के मांग पत्र के आलोक में स्वीकृत राशि निम्नवत है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।

जिला	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद 2801	प्रशिक्षण मद 2003	कार्यालय मद 1301	कुल राशि (रूपये में)	जिला का पत्रांक /दिनांक
गया	30000			30000	470 / सां०, दिनांक 26.07.16
पूर्वी चम्पारण	2529000	199750	427052	3155802	651, दिनांक-26.08.16
सुपौल	2103300	140000	140000	2383300	582 / सुपौल, दिनांक 20.09.16
कैमूर	1876500	203750	473073	2553323	280 / दिनांक-01.08.16
मुंगेर	1486060	33000	1023712	2542772	460 / जि० सां०, दिनांक 29.06.16
भोजपुर	2715400	108750	502880	3327030	95 / जं० को०, दिनांक 30.11.16
बेगुसराय	9152300	555500	2772880	12480680	368 जि०सां० / दिनांक-13.04.16
पटना	12064000	1032250	3926220	17022470	396 / सां० दिनांक 06.05.16
<b>कुल राशि</b>	<b>31956560</b>	<b>2273000</b>	<b>9265817</b>	<b>43495377</b>	

7. वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी, 01-जनगणना, 101-जनगणना आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण, 0002-जनगणना स्थापना, 2011 माँग संख्या-40, विपत्र कोड एन०-3454011010002 के व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ-(2801), प्रशिक्षण व्यय (2003) एवं कार्यालय व्यय-(1301) के अन्तर्गत उपबन्धित राशि से विकलनीय होगा।

8. वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्यय में द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबन्धित राशि निम्नवत है :-

1301 कार्यालय व्यय	92,66,000.00
2003 प्रशिक्षण व्यय	22,73, 000.00
2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	<u>3,19,60,000.00</u>
<b>योग-</b>	<b>4,34,99,000.00</b>

9. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिलाधिकारी-सह-जिला रजिस्ट्रार (नागरिक निबंधन) होंगे।

10. राशि के व्यय पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से अगले माह की 7 वीं तारीख तक महालेखाकार, बिहार द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जाय जिसमें स्पष्ट हो कि कितनी राशि का व्यय जनगणना 2011 कार्य हेतु तथा कितनी राशि का व्यय एन०पी०आर० कार्य हेतु किया गया है।

11. मानदेय, प्रशिक्षण एवं कार्यालय व्यय की राशि, स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखी जाय, किसी भी परिस्थिति में स्वीकृति से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

12. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाएगी।

13. स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

15. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-..... 46-(4)...../रा०, पटना-15 दिनांक-..... 27/1/12.....

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/ समाहर्ता गया, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, कैमुर, मुंगेर, भोजपुर, बेगुसराय तथा पटना/ कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी गया, पूर्वी चम्पारण, सुपौल, कैमुर, मुंगेर, भोजपुर, बेगुसराय तथा पटना /विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-05)/जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/1/12  
(विवेक कुमार सिंह),  
प्रधान सचिव।

✓  
वित्त  
विभाग